

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर  
राजस्व प्रकरण संख्या 19/19... अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल गैरसायल  
राजस्थान सरकार जरिये बनाम श्री. अलकू, भोजा पुत्र ग्राम 5  
पटवारी हल्का रक्वा की बाड़ी निवासी रक्वा रक्वा  
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।


### निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रक्वा की बाड़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम रक्वा की बाड़ी के खसरा नम्बर 145 ... रक्वा 21 ... बीघा में से 1-12 बीघा किस्म ऊपर नु. 21571 राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर 5000 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख रक्वा की बाड़ी को आदेशित किया जाता है कि वह मौके पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 योम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 19.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड  
तहसीलदार गडरारोड